न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-1 कोटा (राज.)

.....

पीठासीन अधिकारी ः आशीष दाधीच, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दाण्डिक अपील संख्याः 55/2018 (सीआईएस 55/2018)

CNR No. RJKT01-000358-2018

स्टेट आफ राजस्थान जरिए लोक अभियोजक ----अपीलार्थी/परिवादी

बनाम

01. मुकुन्द कुमार मित्तल पुत्र श्रीकृष्ण मित्तल, मालिक फर्म मै० मित्तल ड्रग स्टोर, नयापुरा, कोटा, निवास पता-149, नयापुरा, कोटा.
02. धर्मचन्द्र पुत्र मदन लाल, क्वालीफाईड व्यक्ति एवं फार्मासिस्ट, मै० मित्तल ड्रग स्टोर नयापुरा, कोटा निवास पता 11 वल्लभनगर, कोटा.
03. फर्म मै० मित्तल ड्रग स्टोर नयापुरा, कोटा जरिए मालिक फर्म श्री मुकुन्द कुमार मित्तल पुत्र श्रीकृष्ण मित्तल, निवासी पता 149 नयापुरा, कोटा.
04. प्रताप सिंह मालिक पुत्र हरिराम भागीदार एवं मैन्युफेक्चयरिंग केमिस्ट, फर्म मैसर्स नटराज केमीकल एन्ड फार्मास्युटिकल, 98, प्रेम नगर, करनाल 132001, निवास पता अरबन स्टेट, करनाल.
05. विनोद कुमार शर्मा पुत्र वासो राम शर्मा भागीदार फर्म मै० नटराज केमीकल एन्ड फार्मास्युटिकल 98, प्रेम नगर, करनाल 132001 निवास पता धोबी मौहल्ला, करनाल.
06. फर्म मै० नटराज केमीकल एन्ड फार्मास्यूटिकल 98. प्रेम नगर, करनाल 132001 जरिए फर्म भागीदार प्रताप सिंह माालिक व विनोद कुमार शर्मा.

-----प्रत्यर्थीगण-अभियुक्तगण

दाण्डिक अपील अन्तर्गत धारा 378 दण्ड प्रक्रिया संहिता,

बनाराजगी निर्णय दिनांक 06.09.2017 न्यायालय पूनम शर्मा, (आरजेएस), अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-2 कोटा द्वारा नियमित फौजदारी प्रकरण सं.499/2016 (पुराना 10/91) (सीआईएस सं.21574/2014) बउनवान सरकार बनाम मुकुन्द कुमार मित्तल वगैरह, अपराध अन्तर्गत धारा 18(ए)(i)/27(डी) सपठित धारा 16 एवं 17, 18(ए)(i)/27(बी)(i) सपठित धारा 17 ए (एफ) एवं 18 (ए)(i)/27(सी) सपठित धारा 17 बी (डी) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

.....

उपस्थितिः

1. श्री रामदयाल शाक्यवाल, विद्वान अपर लोक अभियोजक, अपीलार्थी की ओर से.
2. श्री यशवंत विजय, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से.

-ः: आदेश ः::- दिनांकः 23.07.2026

01. अपीलार्थी-परिवादी स्टेट आफ राजस्थान जरिए लोक अभियोजक द्वारा यह

अपील विचारणीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-2 कोटा द्वारा नियमित फौजदारी प्रकरण सं.499/2016 (पुराना 10/91) (सीआईएस सं.21574/2014) बठनवान सरकार बनाम मुकुन्द कुमार मित्तल वगैरह, अपराध अन्तर्गत धारा 18(ए)(i)/27(डी) सपठित धारा 16 एवं 17, 18(ए)(i)/27(बी)(i) सपठित धारा 17ए (एफ) एवं 18 (ए)(i)/27(सी) सपठित धारा 17 बी (डी) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 06.09.2017 से व्यथित होकर श्रीमान् सेशन न्यायाधीश कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जहां से विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु न्यायालय हाजा को अन्तरित किये जाने पर दर्ज की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय/दण्डादेश दिनांक 06.09.2017 द्वारा प्रत्यर्थी/अभियुक्तगण को धारा 18(ए)(i) सपठित धारा 16 एवं 17 का उल्लंघन करने पर धारा 27(डी), धारा 17ए (एफ) एवं 17बी (डी) व 18 (ए)(i) का उल्लंघन करने पर धारा 27(बी) व 27(सी) सपठित धारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि औषधि निरीक्षक श्री रमेशचंद चौधरी द्वारा दिनांक 14.03.1988 को फर्म मैसर्स मित्तल ड्रग स्टोर नयापुरा, कोटा जरिए मालिक फर्म श्री मुकुन्द कुमार मित्तल का नियमानुसार निरीक्षण करने पर उक्त फर्म की दुकान में अन्य तथ्यों के साथ-साथ परिवाद पत्र की चरण सं.2 में वर्णित औषधि का स्टॉक विक्रयार्थ संग्रहण किया हुआ पाया, उक्त औषधि के स्टॉक में से 16 बोतलों को जरिए बिल संख्या 32 दिनांक 14.3.88 से क्रय किया एवं मौके पर सैम्पल की कार्यवाही पूर्ण करते हुए सैम्पल को राजकीय विश्लेषक, राजस्थान जयपुर को जांच एवं विश्लेषण हेतु भिजवाया गया, जहां से जांच में सैम्पल औषधि अवमानक कोटि की पाई गई, जिस पर सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण की जाकर सक्षम न्यायालय में प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18(a)(i) 27(d) सपठित धारा 16 एवं 17, धारा 18 (a) (i) 27 (b) (i) सपठित धारा 17 ए (f) एवं धारा 18 (a) (i) / 27 (c) सपठित धारा 17 बी (d) के तहत परिवाद पेश किये जाने पर प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया और प्रत्यर्थीगण के उपस्थित आने पर आरोप पूर्व साक्ष्य लेखबद्ध की गई तत्पश्चात बहस चार्ज सुनी जाकर प्रत्यर्थीगण को धारा 18(ए)(i) सपठित धारा 16 एवं 17 का उल्लंघन करने पर धारा 27(डी), धारा 17ए (एफ) एवं 17बी (डी) व 18 (ए)(i) का उल्लंघन करने पर धारा 27(बी) व 27(सी) सपठित धारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत आरोप विरचित कर सुनाया व समझाया गया एवं बाद चार्ज साक्ष्य में पी.डब्ल्यु.1 रघुवीर सिंह एवं पी.डब्ल्यू.2 रमेशचंद चौधरी के बयान लेखबद्ध कराए एवं संबधित दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्शित कराया गया।

Authenticated Document

03. तत्पश्चात् प्रत्यर्थीगण के बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किये जाने पर उसने साक्ष्य अभियोजन को गलत बताया एवं प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सुनी जाकर आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 06.09.2917 उक्तानुसार पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/परिवादी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

04. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपील मेमो, विचारण न्यायालय के रिकार्ड एवं विधि का अनुशीलन किया गया।

05. लोक अभियोजक द्वारा अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का भी प्रस्तुत किया गया, जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.08.2021 को स्वीकार किया गया था।

06. दौराने विचारण इस न्यायालय में प्रत्यर्थी-अभियुक्तगण प्रतापसिंह मलिक, विनोद कुमार शर्मा, मुकुन्द कुमार मित्तल व धर्मचन्द की ओर से दिनांक 27.10.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 378(4) सी.आर.पी.सी. के तहत पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त प्रकरण में दिनांक 06.09.2017 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 2 द्वारा निर्णय सुनाते हुये सभी अभियुक्तगण को बरी किया था। इसके पश्चात उक्त प्रकरण में जरिये लोक अभियोजक द्वारा एक अपील माननीय न्यायालय जिला सेशन न्यायाधीश कोटा के समक्ष दिनांक 10.01.2018 को पेश की गयी, जोकि चलने योग्य नहीं है। उक्त प्रकरण में औषधि निरीक्षक द्वारा समस्त अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवाद पेश किया था, जिसके अन्दर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी को फैसला सुनाते हुये बरी कर दिया था। चूंकि उक्त प्रकरण एक कम्पलेण्ट केस है, जिसके अन्तर्गत अभियुक्तगण को बरी करने के पश्चात उक्त मामले की अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष ही पेश की जा सकती है, लेकिन अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, जो कि चलने योग्य नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2013 सुप्रीम कोर्ट क्रिमनल लॉ रिपोर्टर पेज नम्बर 1 एवं 2014 (1) डब्ल्यूएलसी राजस्थान पेज नं. 490 के तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपील विशेष अनुमति से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में ही चल सकती है। अंत में उक्त अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

07. उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में विधि एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील मेमो. विचारण न्यायालय के रिकार्ड एवं विधि का अवलोकन अनुशीलन किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गुरुचरण दास चढ्ढा बनाम राजस्थान राज्य (A.I.R. 1966 SUPREME COURT 1418) के पैरा संख्या-5 में प्रदत्त

Authenticated Document

निर्देश की पालना में सर्वप्रथम इस न्यायालय को इस अपील की सुनवाई हेतु न्यायालय का क्षेत्राधिकार सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

08. न्यायिक दृष्टांत गुरुचरण दास चढ्ढा बनाम राजस्थान राज्य (A.I.R. 1966 SUPREME COURT 1418) के पैरा संख्या-5 के अनुसार-

"Para-5.....Question of inherent jurisdiction must always be decided before the merits are considered because to dismiss the petition after consideration of merits itself involves an assumption of jurisdiction. "

09. यद्यपि तथ्यात्मक रूप से माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोटा द्वारा यह प्रकरण दर्ज कर सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित किया गया है, परन्तु मात्र इस तथ्य के आधार पर इस न्यायालय को ऐसा कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हो सकता जो तत्संबंधी विधि द्वारा प्रदत्त नहीं किया गया हो। अपील को दर्ज करना एवं अपील को स्वीकार करना पूर्णतः दो भिन्न विधिक संकल्पनाएं हैं। अपील का अधिकार विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार है जो सामान्य दाण्डिक विधि के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता से शासित होता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 द्वारा दोषमुक्ति के विरूद्ध अपीलों के बारे में प्रावधान किया गया है। **धारा 378(4) के अनुसार "यदि दोषमुक्ति का ऐसा आदेश परिवाद पर संस्थित किसी मामले में पारित किया गया है और उच्च न्यायालय, परिवादी द्वारा उससे इस निमित्त आवेदन किए जाने पर, दोषमुक्ति के आदेश की अपील करने की विशेष इजाजत देता है तो परिवादी ऐसी अपील उच्च न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।"**

10. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जो निम्न प्रकार है :-

1-(2013) 2 SCC 17: Subhash Chand V. State (Delhi Administration), an appeal arising out of acquittal by the Matropolitan Magistrate, Patiala House New Delhi under Prevention of Food Adulteration Act:

Para.21: In view of the above, we conclude that a complainant can file an application for special leave to appeal against an order or acquittal of any kind only to the High Court. He cannot file such appeal in the Session Court. In the instant case the complaint alleging offences punishable under Section 16(1)(1A) read with Section 7 of the PFA Act and the Rules is filed by complainant Shri Jaiswal, Local Health Authority through Delhi Administration. The appellant was acquitted by the Metropolitan Magistrate, Patiala House Courts, New Delhi. The complainant can challenge the order of acquittal by

Authenticated Document

filing an application for special leave to appeal in the Delhi High Court and not in the Sessions Court. Therefore, the impugned order holding that this case is not governed by Section 378(4) of the Code is quashed and set aside. In the circumstances the appeal is allowed.

11. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में तथ्यात्मक रूप से यह स्वीकृत स्थित है कि हस्तगत प्रकरण परिवाद पर संस्थित किया गया है और प्रकरण में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया गया है। **अतः विचाराधीन यह अपील धारा 378(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों से शासित होती है और ऐसी अपील की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।** परिणामतः यह न्यायालय इस अपील की सुनवाई में विधि द्वारा बाधित होने से इसके गुणावगुण पर कोई टिप्पणी पारित करने में सक्षम नहीं है। अतः यह अपील इस न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं होना पाई जाने से अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित, युक्तियुक्त व सदभावी प्रतीत होता है।

:: आदेश :

12. फलतः आक्षेपित निर्णय के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना दोषमुक्ति के विरूद्ध अपीलार्थी/परिवादी राजस्थान राज्य की ओर से प्रत्यर्थी/अभियुक्तगण मुकुंद कुमार मित्तल वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

13. निर्णय की एक प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तत्काल लौटायी जावे। प्रत्यर्थी/अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 की धारा 481 की पालना में इस आदेश से 6 माह की अवधि हेतु प्रवर्तनशील बीस हजार रूपए की जमानत व बीस हजार रूपए का बंधपत्र पेश कर तस्दीक करावें।

(आशीष दाधीच)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-1 कोटा

13. आदेश आज दिनांक 23.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष दाधीच)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-1 कोटा

NAND KISHORE BANSAL
Digitally signed by NAND KISHORE BANSAL
Date: 2026.07.24 13:22:17 +0000

Authenticated Document